संख्या- 7/24/2007/संस्था-III(क)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
<u>संस्था-III (क) शाखा</u>

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2010-2011 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना ।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित कर्मचारी, जो उत्पादकता से संबद्ध किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2010-2011 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निदेश हुआ है । 3500/- रुपए की परिकलन सीमा अपरिवर्तित रहेगी । यह भुगतान केन्द्रीय पुलिस तथा अर्धसैनिक कार्मिकों तथा सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी लागू होगा । ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे, जो परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:-

(i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.3.2011 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2010-2011 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की हो । वर्ष के दौरान छह महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) के संदर्भ में की जाएगी ।

(ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी । एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा । तत्पश्चात इसका बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा । उदाहरण के लिए, परिकलन सीमा 3500/- रुपए मानते हुए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 3500/- रुपए से ज्यादा हैं) 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 3500 X 30/30.4 = 3453.95/- रुपए (3454/- रुपए पूर्णांकित) होगा ।

...2/-

(iii) ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन साल अथवा इससे अधिक सालों में हर साल कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 वर्ष या अधिक वर्षों हेतु हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, वे इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे । उन्हें देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 1200 रुपए X 30/30.4 अर्थात 1184.21/- रुपए (1184/- रुपए पूर्णांकित) होगा । ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, वहां इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी ।

(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णांक में किए जाएंगे ।

(v) इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित, दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-संस्था-समन्वय/88 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे ।

3. इस पर होने वाला खर्च उन संबंधित शीर्षों के नामे डाला जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते नामे डाले जाते हैं ।

4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है ।

5. जहां तक, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

रेनु जैन

(रेनु जैन)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार ।

प्रतिलिपि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित ।